रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237722
CG-DL-E-29072022-237722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
No. 378] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

फा. सं. रा.के.वि.वि./आर/एफ.136/379.—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 27 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की संविधि में संशोधन हेतु निम्नलिखित संविधि बनाती है, नामतः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन संविधियों को केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु), 2019 कहा जा सकता है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।

2. **केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संविधि (राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हेतु) में,**–

   (i) संविधि 09 के पश्चात्, निम्नलिखित संविधि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

   ''9 क. कोर्ट की स्थापना और गणपूर्ति–

   (1) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः–

   (क) पदेन सदस्यः

   (i) कुलाधिपति (अध्यक्ष);

   (ii) कुलपति;

   (iii) प्रतिकुलपति, यदि हो;

(iv) सभी अध्ययन केंद्रों के अधिष्ठाता;

(v) वित्त अधिकारी;

(vi) परीक्षा नियंत्रक;

(vii) पुस्तकालयाध्यक्ष;

(viii) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण;

(ix) अधिष्ठाता (अनुसंधान), यदि हो;

(x) अधिष्ठाता (अकादमिक), यदि हो;

(xi) मुख्य छात्रावास अधीक्षक;

(xii) सभी अकादमिक विभागों के विभागाध्यक्ष, जो अध्ययन केन्द्र के अधिष्ठाता न हों।

(xiii) कुलसचिव (सदस्य सचिव);

(ख) अकादमिक कर्मचारियों के प्रतिनिधिः

(i) सभी आचार्य, जो अधिष्ठाता या विभागाध्यक्ष न हों।

(ii) दो सह–आचार्य, जो अधिष्ठाता या विभागाध्यक्ष न हों, वरिष्ठता के क्रमानुसार कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(iii) तीन सहायक आचार्य, वरिष्ठता के क्रमानुसार, कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(ग) कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा मनोनीत व्यक्तिः

(i) चार व्यक्ति, जो सार्वजनिक जीवन में सफल हो अथवा जिन्हें शिक्षा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो अथवा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हो, कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(ii) शैक्षणिक और सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त दो व्यक्ति, कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(घ) कुलपति द्वारा मनोनीत व्यक्तिः

शैक्षणिक और सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(ङ) कार्यकारी परिषद द्वारा मनोनीत व्यक्तिः

कार्यकारी परिषद द्वारा सिविल सोसाइटी (एनजीओ/उद्योग/ विधि समुदाय/ प्रतिष्ठित नागरिक) के दो प्रतिनिधि मनोनीत किये जायेंगे।

(च) विद्यार्थियों के प्रतिनिधिः

विद्यार्थी परिषद से दो विद्यार्थी प्रतिनिधि (एक पुरुष और एक महिला), अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण, की संस्तुति पर कुलपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।

(छ) पूर्व विद्यार्थियों के प्रतिनिधिः

पूर्व विद्यार्थी संघ का एक प्रतिनिधि पूर्व विद्यार्थी संघ की संस्तुति पर कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर कोर्ट के सभी सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्षों की होगी। 9(क)(च) के अंतर्गत मनोनीत विद्यार्थी प्रतिनिधियों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा और उनकी सदस्यता संबंधित अकादमिक वर्ष की समाप्ति तक होगी।

(3) कोर्ट की बैठक की गणपूर्ति के लिए कोर्ट के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों, अध्यक्ष को छोड़कर, की आवश्यकता होगी।

(ii) संविधि 10 में, उप–संविधि (5) का लोप किया जाएगा।

नोटः संविधि 10(5) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के साथ अधिनियम की संलग्न अनुसूची के रूप में प्रकाशित की गई थी तथा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कोर्ट का गठन धारा 44 (सी), केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र, 2009 की संख्या 25, दिनांकित 20 मार्च 2009 में प्रकाशित किया गया था।

प्रो. डी. सी. शर्मा, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/असा./195/2022-23]

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2021

F. No. CURAJ/R/F.136/2022/379.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of the Section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of Central University of Rajasthan with the approval of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend the Central University of Rajasthan Statutes, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes(for Central University of Rajasthan), 2019

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Central Universities' Statutes (for Central University of Rajasthan), -**

   (i) after Statute 9, the following Statute shall be inserted, namely:-

   "9 A. Constitution and Quorum of the Court -

   (1) The Court shall consist of the following members, namely:-

   (a) Ex-Officio Members:

   (i) the Chancellor (Chairman);

   (ii) the Vice-Chancellor;

   (iii) the Pro-Vice Chancellor, if any;

   (iv) All Deans of School of Studies;

   (v) the Finance Officer;

   (vi) the Controller of Examination;

   (vii) the Librarian;

   (viii) the Dean Students' Welfare;

   (ix) the Dean (Research), if any;

   (x) the Dean (Academics), if any;

   (xi) the Chief Warden;

   (xii) All Heads of the Academic Departments who are not Deans of School of Studies.

   (xiii) the Registrar (Member Secretary);

   (b) Representatives of the Academic Staff:

   (i) All Professors who are not Dean or Head.

   (ii) Two Associate Professors, who are not Deans or Heads, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor.

   (iii) Three Assistant Professors, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor.

   (c) Nominees of the Visitor and Chancellor:

   (i) Four persons who are men of standing in public life or have special knowledge or practical experience in education or have rendered eminent services in the cause of education to be nominated by the Visitor.

   (ii) Two persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Chancellor.

(d) Nominees of the Vice- Chancellor:

Two persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Vice-Chancellor

(e) Nominees of the Executive Council:

Two representatives of Civil Society (NGO/ Industry/Legal Fraternity/ Eminent Citizen(s)) to be nominated by the Executive Council.

(f) Representatives of Students:

Two student's representatives (One Male and One Female) from the Students' Council, to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of Dean, Students' Welfare.

(g) Representatives of Alumni:

One Representative of Alumni Association to be nominated by Vice Chancellor on the recommendation of Alumni Association.

(2) All members of the Court, other than ex-officio members, shall hold office for a term of three years. The students representatives nominated under 9(A)(f) shall not have any voting rights and their term may be considered till the end of respective academic year.

(3) One third members of the total number of the Court members shall form a quorum for a meeting of the Court, excluding the Chairman."

(ii) In Statute 10, the sub-statute (5) shall be omitted.

Note: The Statute 10(5) was published along with the Central Universities Act, 2009 as a Schedule annexed to that Act and the constitution of first Court of the Central University of Rajasthan was made vide Section 44(c), Central Universities Act, 2009, which was published in the Gazette of India, No. 25 of 2009 dated 20th March 2009.

Prof. D. C. SHARMA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./195/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.29 23:12:43 +05'30'